केवल कार्यालय उपयोग के लिए

राजस्थान सरकार

मंत्रिमण्डल सचिवालय

राजस्थान कार्यविधि नियम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन निर्मित

(31 दिसम्बर, 2005 तक संशोधित)

XVI-क. संसदीय कार्य विभाग

1. विधानसभा का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने की तारीखें या उसे भंग करना तथा विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण।
2. विधानसभा की योजना एवं समन्वय और सदन में अन्य सरकारी कारोबार।
3. सदस्यों द्वारा नोटिस दिये गये प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने के लिए विधानसभा में सरकारी समय का आवंटन।
4. समूहों के नेताओं और उप मुख्य सचेतकों के साथ सम्पर्क।
5. विधेयकों से संबंधित चयन समितियों के लिए सदस्यों की सूचियां।
6. सरकार द्वारा स्थापित समितियों और अन्य निकायों में विधानसभा सदस्यों की नियुक्ति।
7. विधानसभा में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों का क्रियान्वयन।
8. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और प्रस्तावों पर सरकार का दृष्टिकोण।
9. मंत्रिमंडल की संसदीय और विधिक कार्य समिति को सचिवालय सहायता।
10. विधानसभा के सदस्यों और अधिकारियों को वेतन और भत्ते।
11. प्रक्रियात्मक और अन्य संसदीय मामलों पर विभागों को सलाह।
12. संसदीय समिति द्वारा किये गये साधारण आवेदन की सिफारिश पर विभागों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का समन्वय।
13. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की अभ्युक्तियों के क्रियान्वयन का अनुसरण।
14. लाभ के पदों पर संयुक्त समिति (लोकसभा)।
15. युवा संसद प्रतियोगिताएं।
16. मुख्य सचेतकों के सम्मेलन की सिफारिशों का क्रियान्वयन।
17. विधानसभा और संसद के सदस्यों और अधिकारियों के निर्वाचन, नामनिर्देशन से संबंधित समस्त मामले।

18. सदस्यों द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव इत्यादि के जवाब हेतु सामग्री भेजे जाने के लिए विभिन्न विभागों के साथ सम्पर्क करना।

19. कार्मिक विभाग, सामान्य प्रशासन और वित्त विभाग को आवंटित मामलों के सिवाय विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित समस्त स्थापन मामले।